न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 44/2021

1 जैसाराम पुत्र जगुराम जाति जाट निवासी कोटड़ी धायलान तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

1/1 तनाराम धायल पुत्र जैसाराम जाति जाट निवासी कोटड़ी धायलान तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 भूरा पुत्र काना।

2 नारायण पुत्र काना मृतक।

2/1 कैलाशसिंह पुत्र नारायणराम।

2/2 मुरली देवी पत्नी नारायणराम।

2/3 सुनिता देवी पुत्री नारायण।

2/4 सागरसिंह पुत्र नारायण समस्त जाति जाट निवासीगण कोटड़ी धायलान तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 20.04.1990 बउनवानी भूरा बनाम जैसाराम दावा बाबत इस्तकरवार हक, स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय सहायक कलेक्टर श्रीमाधोपुर मुकदमा नम्बर 297/1988

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विधाधर सुण्डा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री सांवरमल चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 31.5.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर श्रीमाधोपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 297/1988 में पारित निर्णय दिनांक 20.04.1990 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर श्रीमाधोपुर के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने एक दावा बाबत इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि भूमि खसरा नम्बर पुराने 209 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 210 रकबा 6 बीघा एक बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा तन कोटड़ी धायलान तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित है। जिसका नया नम्बर नये सेंटलमेंट में 795 रकबा 2.50 हैक्टेयर किया गया है जबकि इसका रकबा 2.63 होना चाहिए और मौके पर वादीगण मौके पर 2.63 हैक्टेयर भूमि पर काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा पूर्व की तरफ सींव जोड़ पड़ौसी काश्तकार है। नये सेटलमेंट में प्रतिवादीगण ने आमीन से साजिश कर वादीगण के पुराना खसरा नम्बर 209 की सीमा को नक्शे में पश्चिम की तरफ दिखाकर आमीन से सेटलमंट के समय बदनियति से प्रतिवादीगण को लाभ पहुंचाने की नियत से वादीगण की भूमि में से 0.13 हैक्टेयर भूमि को गलत रूप से प्रतिवादीगण की भूमि खसरा नम्बर 793 में मिलाकर नक्शे में गलत इन्द्राज कर दिया और गलत रूप से वादीगण की खातेदारी की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भूमि मे से 0.13 हैक्टेयर भूमि की कम खातेदारी दर्ज कर दी। उक्त गैर कानूनी कार्यवाही से वादीगण को काफी हक तलफी हुई है और वादीगण उक्त भूमि की खातेदारी पुनः अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाने का अधिकारी है। यह वाद प्रस्तुत होने पर विचारण न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही करते हुये वाद वादी डिक्री कर दिया है। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट के विरूद्व विधि विरूद्व रूप से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में तामीली नोटिस संलग्न नही है। अपीलांट को विचारण न्यायालय में साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया है। वास्तविक रूप से अपीलांट की तामील करवाई जाती तो अपीलांट जवाब दावा पेश करता, तनकीयात कायम की जाती तथा अपीलांट व रेस्पोडेंट की साक्ष्य होकर मेरिट पर निर्णय पारित किया जाता। परन्तु अपीलांट को न तो कोई सुनवाई का अवसर दिया गया । बाला–बाला तामील कुनिन्दा से साज करके दावा डिक्री करा लिया। इस न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनकर दिनांक 01.12.2021 के निर्णय से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जा चुका है। इस निर्णय के विरूद्व रेस्पोडेंट ने किसी प्रकार की निगरानी प्रस्तुत नही की है। अत यह निर्णय अन्तिम हो चुका है। न्यायहित में अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट वर्ष 1990 से लगातार बैंक ऋण ले रहा है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट को विचाराधीन निर्णय की प्रारम्भ से जानकारी रही है। अपीलांट ने विलम्ब का सन्तोषजनक कारण नही बताया है। विचारण न्यायालय में अपीलांट की विधिवत तामील हुई है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में ए.आई.आर. 1998 एस.सी. पेज

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

2276, ए.आई.आर. 2019 पेज 4, आर.आर.टी. 2017(1) पेज 117, आर.आर.टी. 2009 (2) पेज 1309, डी.एन.जे. एस.सी. 2009 पेज 846 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2/3 ने तर्क दिया है कि गत रकबे एवं हाल मैटरिक प्रणाली से रकबे का गुणनफल करने पर स्पष्ट होता है कि रेस्पोडेंट का 0.13 हैक्टेयर रकबा कम दर्ज हुआ था। विचाराधीन निर्णय से विचारण न्यायालय ने गिरदावर की रिपोर्ट के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में अपीलांट के विरूद्व विधि विरूद्व रूप से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में तामीली नोटिस संलग्न नही है। अपीलांट को विचारण न्यायालय में साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया है। वास्तविक रूप से अपीलांट की तामील करवाई जाती तो अपीलांट जवाब दावा पेश करता, तनकीयात कायम की जाती तथा अपीलांट व रेस्पोडेंट की साक्ष्य होकर मेरिट पर निर्णय पारित किया जाता। परन्तु अपीलांट को न तो कोई सुनवाई का अवसर दिया गया । बाला–बाला तामील कुनिन्दा से साज करके दावा डिकी करा लिया। इस न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनकर दिनांक 01.12.2021 के निर्णय से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जा चुका है। इस निर्णय के विरूद्व रेस्पोडेंट ने किसी प्रकार की निगरानी प्रस्तुत नही की है। अत यह निर्णय अन्तिम हो चुका है। इस पर पुन विवेचन/निर्णय नही किया जाना है। गुणावगुण पर निर्णय हेतु प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट का जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.07.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 31.5.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर